

बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर नयुक्त

चर्चा में क्यों?

- 14 मार्च, 2022 को उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सहि (से.न.) ने चौथी विधानसभा को भंग कर नवनरिवाचति विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को पांचवीं नरिवाचति विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नयुक्त किया।

प्रमुख बदि

- राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 180 (1) के तहत बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नयुक्त किया है।
- प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत नई विधानसभा के नवनरिवाचति विधायकों को शपथ दलाएंगे तथा सदन के नरिवाचति सदस्यों में से एक नए अध्यक्ष के चुने जाने तक अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत कालाढूंगी से विधायक नरिवाचति हुए हैं तथा सातवीं बार विधायक बने हैं।
- बंशीधर भगत राज्य के छठे प्रोटेम स्पीकर होंगे। ये पहली बार 1991 में अवभाजति उत्तर प्रदेश विधानसभा में नैनीताल से विधायक बने थे।
- बंशीधर भगत ने उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य व रसद राज्यमंत्री, पर्वतीय विकास मंत्री तथा वन राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला था।